भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्या :2014
गुरुवार, 31 **जुलाई**, 2025/9 **श्रावण**, 1947 (**शक**) **को दिया जाने वाला उत्तर**

विमान कंपनियों के लिए सहायक वित्तीय तंत्र

2014. **श्री विशालदादा प्रकाशबापू पाटीलः**

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि भारतीय विमान कंपनियों को बढ़ती परिचालन लागतों को पूरा करने के लिए हवाई किराए बढ़ाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इसके लिए कोई सहायक वित्तीय तंत्र मौजूद है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या विमानन सामर्थ्य के लिए कोई व्यापक रणनीतिक ढांचा मौजूद है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (**श्री मुरलीधर मोहोल**)

(क): वायुयान नियम, 1937 के नियम 135 के उपनियम (1) के प्रावधानों के अंतर्गत, अनुसूचित हवाई सेवाएँ प्रदान करने वाले प्रत्येक हवाई परिवहन उपक्रम को परिचालन लागत, सेवाओं की विशेषताएँ, सामान्यतः प्रचलित टैरिफ आदि सहित सभी प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखते हुए टैरिफ निर्धारित किया जाता है। एयरलाइनों द्वारा बाजार की माँग, मौसम और अन्य बाजार शक्तियों को ध्यान में रखते हुए मूल्य निर्धारित की जाती हैं।

(ख) और (ग): क्षेत्रीय हवाई यात्रा की वहनीयता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने वर्ष 2016 में आरसीएस-उड़ान योजना शुरू की है। यह योजना चिह्नित क्षेत्रीय मार्गों पर एयरलाइन प्रचालकों को वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करती है, जिसमें एयरलाइन परिचालन लागत को कम करने के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकारों/ संघ राज्य क्षेत्रों और हवाईअड्डा प्रचालकों द्वारा रियायतें और ऐसे मार्गों पर परिचालन लागत और अपेक्षित राजस्व के बीच अंतर को समाप्त करने के लिए व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (वीजीएफ) शामिल हैं। जिन आरसीएस सीटों पर चयनित एयरलाइन प्रचालकों (एसएओ) को वीजीएफ प्रदान किया जाता है, उनका हवाई किराया 3 वर्ष की अवधि के लिए सीमित रखा जाता है। उपर्युक्त उपायों का उद्देश्य विमानन क्षेत्र को किफ़ायती, सुलभ और समग्र यात्री सुविधाओं में सुधार करना है, जिससे क्षेत्रीय विकास और आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा मिले।

*****